न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /11 निगरानी R-837-II/2011

सजनबाई पति पूरसिंह सोंधिया राजपुत, निवासी ग्राम कोटड़ा खुर्द तह. गरोठ जिला मंदसौर

———निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. चंदरसिंह पिता नाथूसिंह सोंधिया राजपुत, निवासी ग्राम कोटड़ा खुर्द तह. गरोठ जिला मंदसौर
2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामिण विकास बैंक मर्यादित मंदसौर शाखा शामगढ़ तह. गरोठ जिला मंदसौर
3. अमरा | पिता कान्हा जी, निवासी कोटड़ा खुर्द
4. बालिया | तह. गरोठ जिला मंदसौर

——— रेस्पांडेंटगण

श्री एन एस शिरोधिया अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 20-5-11 को उज्जैन बेन्च पर प्रस्तुत।
20-5-11

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, निगरानीकर्ता ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा रेस्पांडेंट क्र. 4 से उसके भूमि स्वामी स्वत्व के सर्वे नम्बर 29/1 रकबा 0.957 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय किया तथा निगरानी प्रक्रिया का पालन करते हुए निगरानीकर्तागण राजस्व अभिलेख में उसके आधार पर नामान्तरण हुआ तथा जब से निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि क्रय की तब से अभी तक निगरानीकर्ता का मौके पर कब्जा चला आ रहा है तथा नामान्तरण होने के पश्चात् निगरानीकर्ता के नाम से ऋण पुस्तिका भाग 1 एवं 2 बनी एवं उसके आधार पर निगरानीकर्ता का कृषक क्रेडिट कार्ड भी बना और इस समय क्रेडिट कार्ड का लोन भी लिया हुआ है।

2. यह कि, उपरोक्त पैरा में वर्णित विक्रय पत्र एवं नामान्तरण को आज तक भी किसी सक्षम न्यायालय में रेस्पांडेंटगण की और से उसे विवादित नहीं किया गया है तथा उसे चैलेंज नहीं किया गया है और न ही उसके खिलाफ अपील निगरानी हुई है इस प्रकार से उक्त नामान्तरण अंतिम हुआ। जो कि, वर्तमान में भी राजस्व अभिलेखो मे भी निगरानीकर्ता भूमि स्वामी के रूप मे दर्ज है।

3. यह कि, रिस्पांडेंट क्र. 1 एवं 2 ने आपस में कपट संधि कर निगरानीकर्ता को व्यक्तिगत द्वेषता के आधार पर नुकसान पहुचाने की गरज से कथित बैंक के निलामी कार्यवाही चूपचाप तरीके से की गई। जिसकी शिकायत निगरानीकर्ता की ओर से कलेक्टर

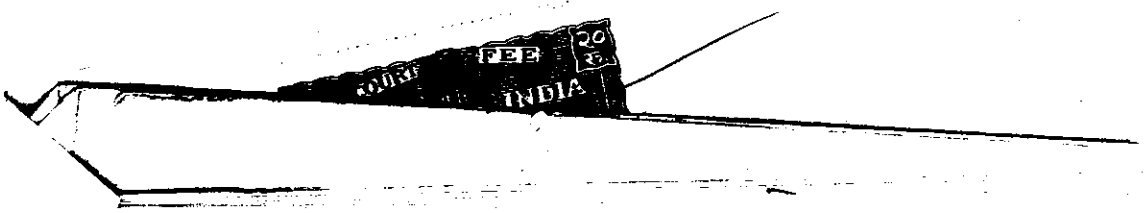

महोदय जिला मंदसौर को की गयी। उस पर से उपपंजीयक महोदय जिला सहकारी संस्था जिला मंदसौर की और से जांच की गयी तथा अपना जांच प्रतिवेदन 31/5/06 से कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया तथा प्रबंधक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित मंदसौर को संबंधित कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया और उक्त निलामी की कार्यवाही नियम के विपरित होना निर्धारित किया।

4. यह कि, रेस्पांडेंट क्र. 3 के द्वारा उपरोक्त विक्रय पत्र के पूर्व भी अपनी जमीन राधेश्याम, रतनलाल, तुलसीराम आत्मज कन्हैयालाल को विक्रय की और आज भी शेष भूमि अमरा के भूमि, स्वामी, स्वत्व पर है। ऐसी स्थिति में रेस्पांडेंट क्र. 1 की पक्ष में रेस्पांडेंट क्र. 2 के द्वारा आपसी कपट संधि के आधार पर उक्त कार्यवाही होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित है और उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध हुई है। इसको सक्षम न्यायालय उपपंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला मंदसौर के द्वारा भी माना गया है।

5. यह कि, रेस्पांडेंट क्र. 1 के द्वारा तहसील न्यायालय में उपरोक्त पैरा में वर्णित विधि विरूद्ध किये गये निलामी के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया जो तहसील में प्रकरण क्र. 17अ 6/05–06 पर कायम हुआ और उसमे निगरानीकर्ता की और से आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जो स्वीकार करते हुए उक्त आदेश में की गयी विवेचना के अनुसार अनावेदक क्र. 1 का नामान्तरण का आवेदन आदेश तारीख 12/12/06 के अनुसार निरस्त हुआ। जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 एवं 2 ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय गरोठ के समक्ष दो अलग–अलग अपीले प्रस्तुत की। जिनका की प्रकरण क्र. 19 अपील/06–07 एवं 24 अपील/06–07 पर कायम होकर के उनकी आदेश तारीखी 11/9/07 के द्वारा उक्त दोनो अपीले निरस्त हुई। जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 एवं 2 ने अधिनस्थ न्यायालय मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की। जो प्रकरण क्र. 34/08–09 अपील एवं 236/07–08 अपील पर कायम हुई तथा विवादित आदेश तारीखी 11/5/11 के द्वारा अनावेदक क्र. 1 एवं 2 की उक्त अपील रिकार्ड एवं विधि विरूद्ध स्वीकार हुई। जिससे असंतुष्ट होकर के निम्नलिखित आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत है।

XXXIX(a)-BR(H)-11 लक्ष्मणबाई X चतरसिंह इत्यादि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 5

प्रकरण क्रमांक R 837-II/11 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.11.2016	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदकगण की ओर से श्री एम०एम० सिसौदिया अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	

[क्र. ...]